

Summary of DEO's Scrutiny Report from the State of **UTTARAKHAND** General Elections to the **HOUSE OF THE PEOPLE** Year **2019**

Category-1-Candidates where no defects pointed out by the DEO in the DEO's Scrutiny Report						
Sl. NO	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks
1	Udham Singh Nagar	04-Nainital – Udham Singh Nagar	Ajay Bhatt	R	Bharatiya Janata Party	
			Comrade Dr. Kailash Pandey	NR	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)	
			Prem Prasad Arya	NR	Pragatisheel Lok Manch	
			Sukumar Vishvas	NR	Independent	
			Total	04	04	
Category-2-Candidates who failed to lodge their accounts of election expenses						
Sl. NO	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks
1	Udham Singh Nagar	04-Nainital – Udham Singh Nagar	Er.Navneet Agarwal	NR	Bahujan Samaj Party	
			Total	01	01	
Category-3- Candidates who failed to lodge their accounts within prescribed time of 30 days of declaration of results						
Sl. NO	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention (i) last date for submission of accounts, (ii) date of submission of accounts and the number of days delayed, (iii) reason for late submission if obtained by the DEO)
1	Udham Singh Nagar	04-Nainital – Udham Singh Nagar	Harish Rawat	NR	Indian National Congress	(i) Last date for submission of accounts (22.06.2019) (ii) Date of submission of accounts and the number of days delayed (25.06.2019) 03 Day delayed
			Er. Jyoti Prakash Tamta	NR	Bahujan Mukti Party	
			Total	02	02	

Category-4- Candidates who failed to lodge their accounts of election expenses in the manner required under law (cases other than Category 2&3)						
Sl. No	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention the deficiencies found and amount of understatement any)
1	Udham Singh Nagar	04-Nainital – Udham Singh Nagar	Nil	Nil	Nil	
			Total	Nil	Nil	
Category-5- Candidates who failed to lodge their accounts in time and manner (cases other than Category 2,3& 4)						
Sl. No	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention (i) last date for submission of accounts, (ii) date of submission of accounts and the for late submission if obtained by the DEO, (iv) the deficiencies found and amount of understatement, if any)
1	Udham Singh Nagar	04-Nainital – Udham Singh Nagar	Nil	Nil	Nil	
			Total	Nil	Nil	


 Chief Electoral Officer
 Uttarakhand.

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1164 / 25-निर्वाचन व्यय लेखा/2019

दिनांक 12 जुलाई, 2019।

विषय:-

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 04-नैनीताल-ऊधमसिंहनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 04-नैनीताल-ऊधमसिंहनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 89 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक (ग 3) में सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थीवार जाँच रिपोर्ट तथा सारांश संक्षिप्त रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

इस सम्बन्ध यह भी अवगत कराना है कि क्रमांक 3 पर अंकित अभ्यर्थी ई0 नवनीत अग्रवाल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिना निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

(क) विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं० एवं नाम: 04 नैनीताल- ऊधमसिंहनगर

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं०: 07 (सात)

(ग) राज्य एवं जिला: उत्तराखण्ड, ऊधम सिंह नगर।

(घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख: 23.05.2019

(ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख: 22.06.2019

(च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम: श्री अजय भट्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
क्र०स०	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत हैं (डी ई ओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलग्नक-ग 3 के बिंदु सं० 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है।)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है।	व्यय प्रश्नक की टिप्पणी	
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गई एकमुश्त धन-राशि।	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किए गए अन्य व्यय का कुल योग।	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/बैंक में निहित एकमुश्त धन-राशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें।)	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग
1	अजय भट्ट (भारतीय जनता पार्टी)	22.06.2019	22.06.2019	हाँ	हाँ	3242323.00	हाँ	5000000.00	—	1240100.00 सूची संलग्न	—
2	हरीश रावत(इंडियन नेशनल कांग्रेस)	22.06.2019	25.06.2019	हाँ	हाँ	5766112.00	हाँ	5000000.00	—	2450030.00	—
3	ई० नवनीत अग्रवाल (बहुजन समाज पार्टी)	22.06.2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4	कामरेड डॉ० कैलाश पाण्डेय (कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन))	22.06.2019	22.06.2019	हों	हों	207196.00	हों	20000.00		66000.00 सूची संलग्न	—	—
5	इन्जीनियर ज्योति प्रकाश टण्टा (बहुजन मुक्ति पार्टी)	22.06.2019	25.06.2019	हों	हों	171340.00	हों	—	—	20000.00 संजय कुमार	—	—
6	प्रेम प्रसाद आर्य (प्रगतिशील लोक मंच)	22.06.2019	22.06.2019	हों	हों	593953.00	हों	—	—	518100.00 श्रमदान मूल्यांकित राशि	—	—
7	सुकुमार विश्वास (निर्दलीय)	22.06.2019	22.06.2019	हों	हों	182745.00	हों	—	—		—	—


 जिला निर्वाचन अधिकारी
 के हस्ताक्षर

व्यय प्रेशक की टिप्पणी, यदि कोई हो तो,

दिनांक:

व्यय प्रेशक
 के हस्ताक्षर

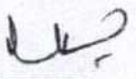
जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-01

राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	श्री अजय भट्ट, 784 गांधी चौक, सदर बाजार, रानीखेत (अल्मोड़ा) 263645
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	भारतीय जनता पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय भट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22-06-19
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	—
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	—
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	—
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	—
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	32,42,323.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ

17	यदि नहीं, तो यदि नहीं तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।					
	(i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।		हाँ			
	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।		हाँ			
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।		हाँ			
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है।		हाँ			
	(v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।		हाँ			
18	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।		हाँ			
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।		हाँ			
	(iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।		हाँ			
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।		नहीं			
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	विभिन्न मदें	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर	6004825.63	3242323	2762502.63
(ii), (iii)						
कुल						
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?				हाँ	

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	हां
	(ii) यदि हां तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	01.04.19, 05.04.19 तथा 09.04.19 (नोटिस संलग्न)
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	हां
	(iv) यदि हां, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	स्पष्टीकरण संलग्न 04.04.2019, 08.04.2019 एवं 12.04.2019
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	अभ्यर्थी का स्पष्टीकरण संतोषजनक है।
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	हां अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गयी है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो*	कोई टिप्पणी नहीं है।
	दिनांक	व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

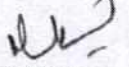
जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-02

राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	श्री हरीश रावत, वार्ड न0 45 सहारनपुर रोड, अपोजिट आई0टी0आई0 देहरादून (उत्तराखण्ड)
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय भट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	25-06-19
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	नहीं
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	03 दिन
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा।	हाँ
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	स्पष्टीकरण संतोषजनक
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	57,66,112.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ

	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	हाँ				
17	(i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।					
	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ				
18	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	हाँ				
	(iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।	हाँ प्रत्याशी द्वारा किया गया व्यय लेखा टीग के छाया प्रेक्षण पंजिका में दर्शाये गये व्यय से अधिक है।				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	विभिन्न मदें	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर	5598014	5766112	0
(ii), (iii)						
कुल				5598014	5766112	0
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	हाँ
	(ii) यदि हां तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	01.04.19, 05.04.19, 09.04.19 (नोटिस संलग्न)
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	हाँ
	(iv) यदि हां, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	संलग्न 04.04.19, 08.04.19, 12.04.19
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	अभ्यर्थी का स्पष्टीकरण संतोषजनक है।
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	हाँ अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गयी है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो* दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं है। व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी, 04-नैनीताल/ऊधम सिंह नगर

लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

ऊधम सिंह नगर

विषय:- आपके पत्रांक 484/नो0अधि0-नि0व्यय, प्रबं0-ले0नि0-नोटिस/2019 दिनांक 05.04.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय

अपने पत्रांक 484/नो0अधि0-नि0व्यय, प्रबं0-ले0नि0-नोटिस/2019 दिनांक 05.04.2019 का सन्दर्भ लें, जो कि हमें आज दिनांक 02.07.2019 व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुए, अवगत कराना है कि पंजिका की लेखाओं में जो भिन्नता पायी गयी है उसका मिलान किया जा रहा है मिलान के उपरान्त पंजिका की लेखाओं में भिन्नता समाप्त कर दी जायेगी।

महादेय हमारे द्वारा दिनांक 25 जून 2019 को समस्त लेखा अभिलेखों का मिलान कर आपके कार्यालय में जमा करवा दिये गये हैं।

धन्यवाद सहित

दिनांक. 02-07-2019

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम:-पुष्कर राज जैन

निर्वाचन अभिकर्ता

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-03

राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की

संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	ई0 नवनीत अग्रवाल, 104अ, अल्लूनगंज, बरेली (उत्तर प्रदेश)
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	बहुजन समाज पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय मट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेण्ट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेण्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	नहीं
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	नहीं
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	—
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	हाँ
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	अभ्यर्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	—
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	—
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	—

17	यदि नहीं, तो यदि नहीं तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	—																								
	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	—																								
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	—																								
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है।	—																								
	(v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	—																								
18	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	—																								
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	—																								
	(iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	—																								
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।	—																								
	<table><tr><td>व्यय की मदें</td><td>तारीख</td><td>छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या</td><td>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।</td><td>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि</td><td>अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि</td></tr><tr><td>(i)</td><td>18-06-19</td><td>सम्पूर्ण रजिस्टर</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>(ii), (iii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि	(i)	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर			0	(ii), (iii)						कुल						
व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि																					
(i)	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर			0																					
(ii), (iii)																										
कुल																										
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	अभ्यर्थी द्वारा 03 निरीक्षण अवधियों में से मात्र दूसरी तिथि 05-04-19 को लेखा निरीक्षण कराया गया।																								

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	—
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	हाँ
	(ii) यदि हां तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	01.04.19, 05.04.19, 09.04.19 (नोटिस संलग्न)
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	नहीं
	(iv) यदि हां, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	—
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	—
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	अभ्यर्थी द्वारा लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो* दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं है। व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

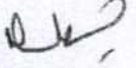
जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या 04

राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	कामरेड डॉ० कैलाश पाण्डेय, बी-49 कार्तिकेय कालोनी, फेज-1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय मट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22-06-19
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	—
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	—
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	—
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	—
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	207196

16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।				—	
17	यदि नहीं, तो यदि नहीं तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है। (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है। (iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं। (iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है। (v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।				हाँ	
	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। (ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा। (iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।				हाँ हाँ हाँ	
18	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।				हाँ प्रत्याशी द्वारा किया गया व्यय लेखा टीम के छाया प्रेक्षण पंजिका में दर्शाये गये व्यय से अधिक है।	
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त/अधिकतम धनराशि
(i)	विभिन्न मदों में	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर	132385.00	207196.00	0.00
(ii), (iii)						
कुल				132385.00	207196.00	0.00
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?				हाँ	

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	—
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	हाँ
	(ii) यदि हाँ तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)) विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	01.04.19
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	हाँ
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	04.04.19
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	स्पष्टीकरण संतोषजनक है।
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	हाँ अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गयी है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो* दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं है। व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

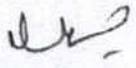
जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या 05

राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	ई0ज्योति प्रकाश टम्टा, दमुवाढुंगा, काठगोदाम (नैनीताल)
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	बहुजन मुक्ति पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय मट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	नहीं
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	03 दिन
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा।	हाँ (स्पष्टीकरण मांगा गया।)
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	—
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	—
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	171340.00

16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ				
17	यदि नहीं, तो यदि नहीं तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है। (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ				
18	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। (ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा। (iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ नहीं अभ्यर्थी द्वारा समय पर लेखा दाखिल नहीं किया गया और न ही वाउचर संलग्न किये गये।				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।	हाँ प्रत्याशी द्वारा किया गया व्यय लेखा टीम के छाया प्रेक्षण पंजिका में दर्शाये गये व्यय से अधिक है।				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	विभिन्न मदें	-	-	144847.6	171340	0
(ii), (iii)						
कुल				144847.6	171340	0
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	—
	(ii) यदि हां तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	—
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	—
	(iv) यदि हां, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	—
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	हाँ अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गयी है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो* दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं है। व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

सेवा में,

रिजनिंग अधिकारी / जिला निवर्तन अधिकारी
04- नैनीताल अध्यापक नग्न हंछरी
निवर्तन क्षेत्र - अध्यापक नग्न

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक सं. 1092/न.अ.
दिनांक 18.06.2019 का अवलोकन कर
की कृपया कीजिए;

जिसे सम्बन्ध में यह सूचीकरण
देना है कि कर्मियों का जो है मैं
यहां सूची दर्ता करने जा रहा हूँ। का पत्रांक
पात्र आप दिनांक 25/06/2019
का मुझ को प्राधिकारी कार्यालय में पूर्ण
निरीक्षण करवा कर सम्पूर्ण दर्ता करने
जिला निवर्तन कार्यालय में जमा
करा दिए हैं।

सादा प्रमाण

25/6/19
जोति प्रकाश 2019

दिनांक
25/06/2019

(साहस प्रकाश)

कृपया (कोचिंग दादा)
नैनीताल

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या 06

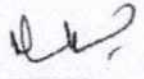
राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की

सम्वीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	श्री प्रेम प्रसाद आर्य, गंगामवन, रामपुर रोड, मानपुर (उत्तर) पो0 मानपुर (पश्चिम) तहसील हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	प्रगतिशील लोक मंच
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय भट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22-06-19 —
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	—
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	—
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	—
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	—
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	593953.00

16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ				
17	यदि नहीं, तो यदि नहीं तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है। (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है। (iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाचचर प्रस्तुत किए गए हैं। (iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है। (v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं। (i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। (ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा। (iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	— हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ				
18	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।	हाँ प्रत्याशी द्वारा किया गया व्यय लेखा टीम के छाया प्रेक्षण पत्रिका में दर्शाये गये व्यय से अधिक है।				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	विभिन्न मदें	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर	470483.60	593953	0
(ii), (iii)						
	कुल			470483.60	593953	0
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	हाँ
	(ii) यदि हां तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	01.04.19, 05.04.19 (नोटिस संलग्न)
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	हाँ
	(iv) यदि हां, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	संलग्न 04.04.19, 08.04.19
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	अभ्यर्थी का प्रत्युत्तर संतोषजनक है।
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	हाँ अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गयी है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो* दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं है। व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या 07

राज्य का नाम-उत्तराखण्ड जिला-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन-लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की

संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता:	श्री सुकुमार विश्वास, म0न0 792, खाली महुअट, पो0आ0-खाली महुअट तहसील-खटीमा, (ऊधम सिंह नगर I)
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है:	निर्दलीय
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम:	04 नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम:	श्री अजय भट्ट
5	परिणाम की घोषणा की तारीख:	23 मई, 2019
6	लेखा समाधान बैठक की तारीख:	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था: (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8	क्या अभ्यर्थी को लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है (हां या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियां स्तम्भ संख्या 19 में दिखाई जायं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	22-06-19
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22-06-19
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया गया है तो, विलम्ब की अवधि	—
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	—
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	—
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	—
15	सार विवरण के भाग II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	182745

	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	—				
16	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।					
17	(i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को सामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	नहीं				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउण्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	नहीं				
18	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	हाँ				
	(iii) उक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।	हाँ पत्याशी द्वारा किया गया व्यय लेखा टीम के छाया प्रेक्षण पंजिका में दर्शाये गये व्यय से अधिक है।				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त/अधिकतम धनराशि
(i)	विभिन्न मदें	18-06-19	सम्पूर्ण रजिस्टर	74179.60	182745.00	0
(ii), (iii)						
कुल				74179.60	182745.00	0
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें:-	—
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	हां
	(ii) यदि हां तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किए गए समस्त नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	01.04.19
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	हां
	(iv) यदि हां, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	संलग्न 04.04.19
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	अभ्यर्थी का प्रत्युत्तर संतोषजनक है।
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप में सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिए) दिनांक:	हां अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गयी है।  हस्ताक्षर (डॉ० नीरज खैरवाल)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो* दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं है। व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर